फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अजमेर

भंवरलाल .... बनाम मनभर व अन्य ....

किस्म मुकदमा 53, 188, 88 मुकदमा नम्बर 27 / 2016......सन ....

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
06.1.2020	पत्राावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित । वकिल प्रतिवादी ने निवेदन किया गया कि वादी द्वारा वाद प्रस्तुति कि दिनांक के पश्चात न्यायालय आदेशिका दिनांक, 10.07.2019, 25.9.19, 14.11.2019 ,को प्रतिवादी संख्या 4, 6, 7 की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश नही किए गए है । तदपश्चात 1912.2019 को अन्तिम अवसर दिए जाने पर भी नोटिस तलबाना प्रस्तुत करने हेतु वादी / वादी अधिवक्ता को आदेशित किया गया के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किए जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में वादी का वाद निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 10.07.2019, 25.9.19, 14. 11.2019 , की प्रभावी आदेशिका दिनांक 1912.2019 के बावजूद कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी पालना नही की गई है। जिससे वादी एवं उनके अधिवक्ता की उक्त वाद को चलाए जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकृट होना प्रतीत होती है इस प्रकार कानूनी प्रावधानो के तहत वादी अपने हक अधिकारो के प्रति सजग नही रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नही कर सकता है। अतः वादी का वाद न्यायालय आदेशो की अदम पालना में अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी के तहत निरस्त कर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी अजमेर	

Scanned by CamScanner